



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02122023-250361
CG-DL-W-02122023-250361

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 2—दिसम्बर 8, 2023 (अग्रहायण 11, 1945)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 2—DECEMBER 8, 2023 (AGRAHAYANA 11, 1945)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	649	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1123	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	11	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2291	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	2445
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	183
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	4365
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	649	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1123	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	11	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2291	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2445
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	183
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	4365
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

नई दिल्ली-01, दिनांक 24 नवम्बर 2023

सं. 12-25/2023-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह से उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर निम्नलिखित संस्थाओं को एक निश्चित अवधि के लिए सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं के रूप में घोषित किया था, जो निम्नानुसार हैं —

क्र.सं.	मानित विश्वविद्यालय संस्थान का नाम	अधिसूचना सं. और दिनांक	सम-विश्वविद्यालय स्तर तक की मान्यता की वैधता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह, लद्दाख	सं. 9-5/2001-यू3(ए) दिनांक 15.01.2016	14.01.2021
2.	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम	सं. 9-1/2016-यू3(ए) दिनांक 13.12.2018	12.12.2023
3.	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस), जादवपुर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	सं. 9-7/2017-यू.3(ए) दिनांक 08.05.2018	07.05.2023
4.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक	सं. 9-3/2003-यू3 दिनांक 28.02.2005	27.02.2010
5.	समुद्री शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई, तमिलनाडु	सं. 9-19/2005-यू3 दिनांक 21.08.2007	15.11.2020
6.	बीएलडीई, बीजापुर, कर्नाटक	सं. 9-37/2007-यू3(ए) दिनांक 29.02.2008	15.11.2020
7.	चेन्नई गणितीय संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु	सं. 9-64/2005-यू.3 दिनांक 15.12.2006	30.06.2020
8.	चेन्नईनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, कांचीपुरम, तमिलनाडु	सं. 9-48/2006-यू3(ए) दिनांक 04.08.2008	15.11.2020
9.	चिन्मय विश्वविद्यापीठ, एर्नाकुलम, केरल	सं. 9-4/2015-यू.3(ए) दिनांक 16.01.2017	15.01.2022
10.	क्राइस्ट, बैंगलोर, कर्नाटक	सं. 9-34/2007-यू3(ए) दिनांक 22.07.2008	01.12.2021

क्र.सं.	मानित विश्वविद्यालय संस्थान का नाम	अधिसूचना सं. और दिनांक	सम-विश्वविद्यालय स्तर तक की मान्यता की वैधता
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	डी.वाई. पाटिल, नेरूल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	सं. 9-21/2000-यू3 दिनांक 20.06.2002	30.06.2020
12.	आई.आई.एस., गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	सं. 9-6/2008-यू3(ए) दिनांक 02.02.2009	30.06.2020
13.	जैन, बेंगलोर, कर्नाटक	सं. 9-57/2007-यू3(ए) दिनांक 19.12.2008	30.06.2020
14.	जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मैसूर, कर्नाटक	सं. 9-9/2003-यू.3 दिनांक 28.05.2008	15.08.2023
15.	कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, विरुधुनगर, तमिलनाडु	सं. 9-2/2002-यू.3 दिनांक 20.10.2006	15.11.2020
16.	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	सं. 9-49/2001-यू.3 दिनांक 16.02.2004	30.06.2020
17.	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भुवनेश्वर, उड़ीसा	सं. 9-14/2011-यू.3(ए) दिनांक 25.08.2017	24.08.2022
18.	कर्पगम एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, कोयंबटूर, तमिलनाडु	सं. 9-24/2004-यू.3 दिनांक 25.08.2008	30.06.2020
19.	कारुण्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, कोयंबटूर, तमिलनाडु	सं. 9-3/2000-यू3 दिनांक 23.06.2004	24.05.2021
20.	एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	सं. 9-21/2005-यू3(ए) दिनांक 30.08.2006	30.06.2020
21.	नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	सं. 9-42/2005-यू3 दिनांक 27.06.2008	26.06.2011
22.	नूरुल इस्लाम उच्च शिक्षा केंद्र, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	सं. 9-51/2004-यू3 दिनांक 08.12.2008	30.06.2020
23.	पोन्नैया रामजयम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तंजावुर, तमिलनाडु	सं. 9-14/2004- यू.3दिनांक 04.01.2008	30.06.2020
24.	शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश	सं. 9-37/2004-यू3 दिनांक 08.11.2006	30.06.2020
25.	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई, तमिलनाडु	सं. 9-9/98-यू3 दिनांक 02.08.2002	15.08.2023
26.	सेंट पीटर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, अवाडी, चेन्नई, तमिलनाडु	सं. 9-62/2005-यू3 दिनांक 26.05.2008	25.05.2013
27.	वेल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज, चेन्नई, तमिलनाडु	सं. 9-56/2004- यू.3दिनांक 04.06.2008	03.06.2013
28.	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन, ग्रीनफील्ड्स, कुंचनपल्ली पोस्ट, गुंटूर	सं. 9-42/2006-यू.3 (ए) दिनांक 20.02.2009	20.02.2024

3. और जबकि, उक्त विनियमों के खंड 6 के तहत सम-विश्वविद्यालय के रूप में संस्थान की स्थिति के विस्तार के संबंध में यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2023 (इसके बाद आईडीटीबीयू विनियम, 2023) के अनुसार यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से इन संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की गई थी।

4. और जबकि, विशेषज्ञ समिति ने उनके सम-विश्वविद्यालय दर्जे के विस्तार की सिफारिश की थी।
5. और जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा दिनांक 3 नवंबर 2023 को आयोजित अपनी 574 वीं बैठक में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।
6. अब, इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त संस्थाओं के सम-विश्वविद्यालय दर्जे को सारणी के पैरा 2 के कॉलम (4) में प्रदत्त स्थिति की समाप्ति की तारीख से विस्तारित करती है।
7. सभी संस्थान तत्काल प्रभाव से संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा जारी शुल्क संरचना, सीटों की सं. आदि के बारे में नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। सभी संस्थानों को उक्त विनियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर आईटीटीबीयू विनियम, 2023 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों का इन संस्थाओं द्वारा पालन जारी रहेगा।

पूर्णंदु किशोर बनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 24th November 2023

No. 12-25/2023-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of UGC, had declared the following Institutions as Institutions deemed to be Universities for a certain period, as under : —

Sl No.	Name of Institution deemed to be University	Notification No. and Date	Validity of deemed to be University status up to
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Central Institute of Buddhist Studies, Choglamsar, Leh, Ladakh	No.9-5/2001-U3(A) dated 15.01.2016	14.01.2021
2.	Central Institute of Technology, Kokrajhar, Assam	No.9-1/2016-U3(A) dated 13.12.2018	12.12.2023
3.	Indian Association for the Cultivation of Science (IACS), Jadavpur, Calcutta, West Bengal	No.9-7/2017-U.3(A) dated 08.05.2018	07.05.2023
4.	International Institute of Information Technology, Bangalore, Karnataka	No.9-3/2003-U.3 dated 28.02.2005	27.02.2010
5.	Academy of Maritime Education and Training, Chennai, Tamil Nadu	No.9-19/2005-U.3 dated 21.08.2007	15.11.2020
6.	BLDE, Bijapur, Karnataka	No.9-37/2007-U3(A) dated 29.02.2008	15.11.2020
7.	Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu	No.9-64/2005-U.3 dated 15.12.2006	30.06.2020
8.	Chettinad Academy of Research and Education, Kancheepuram, Tamil Nadu	No.9-48/2006-U3(A) dated 04.08.2008	15.11.2020
9.	Chinmaya Vishwavidyapeeth, Ernakulum, Kerala	No.9-4/2015-U.3(A) dated 16.01.2017	15.01.2022
10.	Christ, Bangalore, Karnataka	No.9-34/2007-U3(A) dated 22.07.2008	01.12.2021
11.	D.Y. Patil, Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra	No.9-21/2000-U.3 dated 20.06.2002	30.06.2020
12.	I.I.S, Gurukul Marg, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan	No.9-6/2008-U3(A) dated 02.02.2009	30.06.2020
13.	Jain, Bangalore, Karnataka	No.9-57/2007-U3(A) dated 19.12.2008	30.06.2020
14.	JSS Academy of Higher Education and Research, Mysore, Karnataka	No.9-9/2003-U.3 dated 28.05.2008	15.08.2023
15.	Kalasalingam Academy of Research and Higher Education, Virudhunagar, Tamil Nadu	No.9-2/2002-U.3 dated 20.10.2006	15.11.2020
16.	Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Orissa	No.9-49/2001-U.3 dated 16.02.2004	30.06.2020
17.	Kalinga Institute of Social Sciences, Bhubaneswar, Orissa	No.9-14/2011-U.3(A) dated 25.08.2017	24.08.2022
18.	Karpagam Academy of Higher Education, Coimbatore, Tamil Nadu	No.9-24/2004-U.3 dated 25.08.2008	30.06.2020

Sl No.	Name of Institution deemed to be University	Notification No. and Date	Validity of deemed to be University status up to
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Karunya Institute of Technology and Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu	No.9-3/2000-U.3 dated 23.06.2004	24.05.2021
20.	MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra	No.9-21/2005-U3(A) dated 30.08.2006	30.06.2020
21.	Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh	No.9-42/2005-U.3 dated 27.06.2008	26.06.2011
22.	Noorul Islam Centre for Higher Education, Kanyakumari, Tamil Nadu	No.9-51/2004-U.3 dated 08.12.2008	30.06.2020
23.	Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science and Technology, Thanjavur, Tamil Nadu	No.9-14/2004-U.3 dated 04.01.2008	30.06.2020
24.	Shobhit Institute of Engineering and Technology, Meerut, Uttar Pradesh	No.9-37/2004-U.3 dated 08.11.2006	30.06.2020
25.	SRM Institute of Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu	No.9-9/98-U.3 dated 02.08.2002	15.08.2023
26.	St. Peter's Institute of Higher Education and Research, Avadi, Chennai, Tamil Nadu	No.9-62/2005-U.3 dated 26.05.2008	25.05.2013
27.	Vel's Institute of Science, Technology and Advanced Studies, Chennai, Tamil Nadu	No.9-56/2004-U.3 dated 04.06.2008	03.06.2013
28.	Koneru Lakshmaiah Education, Greenfields, Kunchanpalli Post, Guntur	No. 9-42/2006-U.3 (A) dated 20.02.2009	20.02.2024

3. And whereas, the functioning of these Institutions were reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee in accordance with UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023 (the "IDTBU Regulations, 2023" hereafter) regarding extension of the status of the institution as deemed to be university under clause 6 of the said regulations.

4. And whereas, the Expert Committee recommended for extension of their deemed to be University status.

5. And whereas, the report of the UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 574th meeting held on 3rd November 2023.

6. Now, therefore, on the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of the above Institutions with effect from the date of expiry of status provided in column (4) of Table at paragraph 2.

7. All the institutions shall follow the rules and regulations regarding fee structure, number of seats, etc. issued by the relevant statutory bodies with immediate effect. All the institutions should conform to the standards set in the IDTBU Regulations, 2023 within the time limit prescribed in the said regulations. All the other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the rules / regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered to by these Institutions.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary